

02.07.25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण अमु.  
प्रतिवादीगण इतरफा। वादी साक्ष्य हेतु  
पुनः अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली  
आर्शद्वय दिनांक गया था। न्यायालय समयमें  
अधिवक्ता वादी व वादीगण के नाम से अलग-  
अलग समय पर तीन बार आज्ञा देलाई गई।  
कोई उपस्थित नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि  
अधिवक्ता वादी एवं वादीगण अपने वाद को  
लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिहाजा वादी का वाद 'अदम पैरवी' व 'अदम टार्जि'  
में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल नुमां होकर दाखिल दफ्तर हो  
व नंबर से कम हो।

25/7/25  
सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.), बाड़मेर